कलेक्टर ने जारी करवाई पीएम आवस की पहली किस्त

श्योपुर में जनसुनवाई में पहुंचे गुड्डी बाई को तुंरत मिली मदद

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 8 जुलाई। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में कुल 211 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई मामलों में मौके पर ही त्वरित राहत प्रदान की गई।

इलाज के लिए बाहर जाने वाले तीन जरूरतमंद हितग्राही महावीर बैरवा, शिशुपाल बैरवा और रामपाल सिंह को रेडक्रॉस से दो-दो हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, ताकि वे मार्ग व्यय वहन कर सकें। साथ ही उन्हें बताया गया कि उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निशुल्क किया जाएगा। ग्राम गांधीनगर प्रेमसर की महिलाओं ने पेयजल संकट को प्रमुखता से उठाया। इस पर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अगले ही दिन तक नई मोटर लगाकर जल आपूर्ति शुरू की जाए। जनसुनवाई के दौरान हरी सिंह गुर्जर को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई। वहीं, मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत पांच हितग्राहियों को दो-दो लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत हुई। ग्राम भसुन्दर की आशा बैरवा के तीन बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना में शामिल करने के निर्देश दिए गए, जिससे उनके शिक्षा और पोषण में मदद मिल सके। इसी क्रम में ग्राम रामपुरा सेमल्दा हवेली निवासी गुड्डी बाई आदिवासी को आवास योजना की प्रथम किस्त तत्काल जारी की गई, ताकि वह अपने पक्के मकान के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सके। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाए और संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके। इस जनसुनवाई कार्यक्रम में एसडीएम बीएस श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ठोस पहल की गई।

बंधक श्रमिक प्रथा गैर कानूनी, समिति के माध्यम से निगरानी रखें : डीएम

श्योपुर। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कहा है कि बंधक श्रमिक प्रथा अधिनियम के तहत ऐसी मजदूरी की प्रथा को गैर कानूनी करार दिया गया है तथा ऐसी प्रथा अपनाने वाले देनदारो को दण्डित करने का प्रावधान भी रखा गया है। जिले में इस प्रकार के मामलों पर समिति द्वारा निगरानी रखी जायें। वे आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बंधक श्रम जिला सर्तकता समिति की अध्यक्षता करते हुए बैठक को संबोधित कर रहे थे। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने निर्देश दिये कि ईट भट्टो और ढाबों पर काम करने वाले किशोर श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों का सत्यापन कराया जायें। श्रम विभाग द्वारा अधिनियम के तहत दण्ड के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायें। ग्रामीण क्षेत्रो में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों को भी अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया जायें। उन्होने बताया कि अधिनियम के तहत बंधुओं मजदूर रखने वाले व्यक्ति को 3 साल तक के लिए जेल की सजा के साथ ही दो हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होने कहा कि अधिनियम के तहत जिला स्तर पर उनकी अध्यक्षता में सर्तकता समिति गठित की गई है। इसके साथ ही अनुभाग स्तर पर भी एसडीएम की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है, यह समितियां बंधुआ मजदूरों की प्रथा समाप्त करने के बारे में बनाये गये कानूनों का पालन ठीक ढंग से कराने में अपनी भूमिका निभायेगी। प्रभारी श्रम अधिकारी आशीष तिवारी ने बैठक के दौरान अधिनियम के तहत किये गये विभिन्न प्रावधानो तथा बंधक श्रमिको हेतु पुर्नवास योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

गुरुपूर्णिमा पर होगा 9 कुंडिय गायत्री महायज्ञ

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 8 जुलाई। जिले भर में 10 जुलाई को गुरुपूर्णिमा पर्व धाम-धा के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर गुप्तेश्वर रोड स्थित गायत्री शक्ति पीठ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गायत्री परिवार के आदित्य चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई को सुबह 6 बजे से गायत्री मंत्रों का अखंड जप किया जाएगा एवं शाम के समय 6 बजे से दीप महायज्ञ होगा। अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 8से 9बजे ध्यान योग का कार्यक्रम रखा गया है। 9.30 बजे से 9 कुंडिय गायत्री महायज्ञ आयोजित किया जाएगा तथा यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महाप्रसादी वितरण होगा।

दो आरोपियों पर 10-10 हजार का ईनाम घोषित

श्योपुर। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन द्वारा मप्र पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 80-बी(1) में प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए दो आरोपियों पर 10-10 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार फरार आरोपी बंटी पुत्र नारायण रावत निवासी रायडी थाना टेंटरा जिला मुरैना पर 10 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है। उक्त आरोपी पर थाना ढोढर में धारा 119(1), 115(2), 351(3), 296, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 47/25 पंजीबद्ध है। इसी प्रकार आरोपी योगेन्द्र पुत्र राजवीर गुर्जर निवासी तिलौंधा थाना सरायछोला जिला मुरैना पर 10 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है।

हकीम खान विजयपुर मुस्लिम समाज के सदर निर्वाचित

नवभारत न्यूज
विजयपुर, 8 जुलाई। समाज सेवी हकीम खान (बंटी) विजयपुर मुस्लिम समाज के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका निर्वाचन मंगलवार को पंचायती चबूतरा (इमामबाड़ा) पर आयोजित हुई बैठक में सर्व सम्मति से किया गया। ताजिया के बाद आयोजित होने वाली तिया की बैठक मुस्लिम समाज के पंचायती चबूतरा पर आयोजित हुई। बैठक में साल भर के कामों की समीक्षा करने के साथ आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श हुआ साथ ही नए अध्यक्ष के लिए निर्वाचन प्रक्रिया कराए जाने पर विचार किया गया इस निर्वाचन प्रक्रिया में समाजसेवी हकीम खान बंटी का नाम निर्विरोध रूप से सामने आया एक ही नाम होने पर उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। नए अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बंटी ने मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाया कि वह बुजुर्गों और युवाओं के बीच सामंजस्य बना कर समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। नया अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बंटी का मुस्लिम समुदाय ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया।

स्प्रीकंलर सिंचाई पद्धति से जोड़ने,किया प्रेरित

समय सीमा की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज
श्योपुर,8जुलाई। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कहा है कि चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अंतर्गत कंमाड क्षेत्र के ग्रामों में किसानों को स्प्रीकंलर सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए जागरूकता कैम्प लगाये जायें तथा किसानों को स्प्रीकंलर के माध्यम से सिंचाई के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कार्य किया जायें, इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को स्प्रीकंलर खरीदने हेतु अनुदान भी दिलाया जायें। वे आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कृषि विभाग, उद्यानिकी तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि संयुक्त रूप से अभियान चलाकर चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अंतर्गत आने वाले ग्रामों में इस प्रकार के शिविर लगाये जायें तथा चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की उपयोगिता के बारें में जानकारी प्रदान करते हुए स्प्रीकंलर के माध्यम से खेतो में सिंचाई करने हेतु प्रेरित किया जाये। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने मत्स्य विभाग के सहायक संचालक बीपी झसिया को निर्देश दिये कि मत्स्यपालन तहत कैज कल्चर को बढावा दिया जाएं, इससे मत्स्यपालन के तहत अधिक उत्पादन होता है। उन्होने निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जायें। सभी विभागीय अधिकारी अपनी विभागीय ग्रेडिंग में ए-ग्रेड का लक्ष्य पूर्ण करें। विभागीय अधिकारी शिकायतों का त्वरित रूप से निराकरण करें तथा शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल एल-1 स्तर पर उचित जवाब भरें। उन्होने निर्देश दिये कि 50 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जायें। विभागीय अधिकारी कोर्ट प्रकरणों में जवाब दावे समय सीमा में प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रति संबंधित शाखा को उपलब्ध कराई जाए।

पांच महीने पहले बनी दो पुलिया बारिश में बही

ग्रामीण बोले- घटिया मटेरियल की शिकायत की थी, कार्रवाई नहीं हुई

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 8 जुलाई। श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील में सिरसौद बंजारा बस्ती से सलमान्या तक बनी सड़क की दो पुलियां पहली ही बारिश में बह गईं। यह सड़क मात्र 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हुई थी। लोक निर्माण विभाग ने इस 4 किलोमीटर लंबी सड़क को करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया था।

पुलिया के दोनों ओर मिट्टी का कटाव हुआ

सोमवार को जंगल क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण बरसाती नदियों में पानी का बहाव आया। दोनों पुलियां पानी में डूब गईं। पुलियाओं पर 3 से 4 फीट तक पानी बहने लगा। देर शाम तक पुलिया पानी के साथ बह गईं और उनके दोनों तरफ कटाव हो गया। स्थानीय सुग्रीव बंजारा सलमान्या, दिनेश मीणा, नवल कुशवाह, रोहित मेराठा का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान ही उन्हें घटिया निर्माण की आशंका थी। पुलियाओं में निम्न स्तर का मटेरियल लगाया गया था। उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सड़क भी कई जगहों से धंसने लगी है। एक साल पहले मंजूर हुई इस सड़क के निर्माण में गंभीर लापरवाही सामने आई है।

> कैचमेंट एरिया में ज्यादा पानी आने से कटाव हुआ है। उन्होंने सड़क मार्ग पर आवागमन बंद करा दिया है और मरम्मत का आश्वासन दिया है।
> **पुष्कल प्रताप**
> **कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी के प्रभारी**

4 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज

श्योपुर। श्योपुर जिले में 08 जुलाई को 4 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 08 जुलाई को श्योपुर में 3, बडौदा में 17 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस वर्ष 01 जून 2025 से अभी तक जिले में कुल 517 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक 360 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी।

वायुसेना में अग्निवीर भर्ती पर मार्गदर्शन देंगे अधिकारी

श्योपुर। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इस संबंध में वायुसेना के अधिकारी 9 जुलाई को दोपहर 12 बजे वीडियों काफ्रेसिंग के माध्यम से अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जिला रोजगार अधिकारी आशीष कुमार जैन ने बताया कि जो छात्र-छात्राएं वायुसेना अग्निवीर की भर्ती में शामिल होना चाहते है, वे उक्त दिनांक को दोपहर 12 बजे शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज श्योपुर में उपस्थित होकर वीसी के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है। वायुसेना के अधिकारियों द्वारा वीसी के माध्यम से अग्निवीर वायु के रूप में शामिल होने के अवसर और प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की जायेगी। उन्हें वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया, करियर की संभावनाएं, प्रशिक्षण और सेवा से जुड़ी जानकारियां दी जायेगी।

हंसापुर के दुधिया पानी को देखने पहुंच रहे सैलानी

नवभारत न्यूज
दतिया,8जुलाई। इस समय बारिश होने से तालाब, नदियां उफन पर है। जंगल में पहाड़ों ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। जिनमें से एक भांडेर से 3 किलोमीटर दूर हँसापुर बाँध पर 6 मीटर से अधिक ऊंचाई से गिरते पानी यहां की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। बारिश से प्राकृति वातावरण में निखार आ गया है। हँसापुर बाँध में 6 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। बांध का झरना कैम्पटी फाल की तरह दिखाई देता है। इससे लोग यहां पर आनंद उठाने आते हैं। हंसापुर बाँध की 6 मीटर ऊंचाई, 51. 48 मीटर चौड़ाई, 400 हेक्टेयर में पानी भरा हुआ है एवं 466 मीटर की पार बनी हुई है कच्ची, इसकी क्षमता 5.031 एमसीयुवन की क्षमता है

प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए यहां हर रोज बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। दतिया, झाँसी, चिरगांव से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहां सुबह 9 बजे से देर शाम तक युवा मौज-मस्ती करते देखे जा रहे हैं। हर यहां सैलानियों का मेला सा लग रहा है। जो परिवार के साथ इस प्राकृतिक वातावरण में सूकून के पल गुजारने पहुंचते है। सावन में रिमझिम फुहार और मखमल से हरियाली के बीच झरने का बहते पानी की कल-कल की आवाज यहां के लोगों मंत्रमुग्ध करती है।

हँसापुर बांध पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं: हंसापुर बांध पर सुरक्षा के कोई इंतजाम ही नहीं हैं। बारिश में कई लोग यहां प्राकृतिक नजारे को देखने एवं नहाने के लिए हर दिन पहुँच रहे है । लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं होने से जरा सी चूक में यहां भी बड़े हादसे होने का डर है। लेकिन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी, हादसा होने के बाद ही याद आती है। आमजन अपनी लापरवाही अव्यवस्था कहकर प्रशासन पर थोप देते हैं । झमाझम बारिश के बाद नगर से 3 किमी की दूरी पर स्थित हँसापुर बांध के पानी का नजारा देखने लिए आसपास के क्षेत्रों के लोगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में ऐसे स्थानों पर बेरिकेडिंग व सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से उत्साही युवक सीमाएं लांघने से काल के ग्रास बन सकते हैं। लेकिन यह सब व्यवस्था पहले से ही कर दी जाए तो कई हादसे टल सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार है।

प्रशिक्षण मात्र एक औपचारिकता नहीं बल्कि यह एक दिशा और दृष्टिकोण का निर्माण है : पाठक

भाण्डेर प्रतिनिधि प्रशिक्षण मात्र एक औपचारिकता नहीं बल्कि यह एक दिशा और दृष्टिकोण का निर्माण है। प्रशिक्षण का मूल्य केवल प्रशिक्षण दिवसों तक सीमित नहीं होता। इसकी सच्ची सार्थकता तब होती है जब हम कक्षा में जाकर उसे व्यवहार में उतारते हैं। आप सभी शिक्षकगण अपने-अपने विद्यालयों में इस नई दृष्टि और ऊर्जा के साथ वापस जाएँ उन्हें पढ़ाएँ भी, और बच्चों के मन में प्रश्न भी जगाएँ।क्योंकि एक जिज्ञासु बच्चा ही आगे चलकर समाज को दिशा देगा। उक्त विचार वीआरसी भाण्डेर पुरुषोत्तम पाठक ने प्राथमिक विद्यालय परिसर में आयोजित गणित व सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण (द्वितीय बैच) के समापन अवसर पर व्यक्त किये। समापन कार्यक्रम का संचालन मास्टर ट्रेनर महेंद्र शर्मा एवं आभार प्रशिक्षण प्रभारी गणेश दत्त दुवे ने व्यक्त किया। इस दौरान गणित, रघुराज सिंह सामाजिक विज्ञान, उपेन्द्र राणा सामाजिक विज्ञान, दीपक साहू गणित, विवेक मिश्रा गणित, प्रमोद शर्मा, जनशिक्षक, बलवीर सिंह कुशवाहा, अनिल श्रीवास्तव, शैलेश श्रीवास्तव, अर्पित पांचाल, प्रियम गुप्ता, रंजना शर्मा, डोली वर्मा, अनीता गुप्ता, सहित 90 से अधिक प्रशिक्षार्थी उपस्थित थे।

गुरुपूजन एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है : प्राचार्य अग्रवाल

नवभारत न्यूज
दतिया, 8जुलाई। प्रतिनिधि गुरुपूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है।हमारे यहाँ गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समकक्ष माना गया है। गुरु न केवल ज्ञान का दान करते हैं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे दीपक बनकर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आज के इस आयोजन में गुरुजनों के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की गई है, वह हमारी आने वाली पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य की संकेतक है। यह विचार शासकीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाण्डेर के प्राचार्य संतोष अग्रवाल ने मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ब्लाक भाण्डेर के तत्वावधान में आयोजित गुरुपूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वीआरसीसी भाण्डेर पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि गुरु केवल किताबी ज्ञान देने वाले नहीं होते, वे हमारे जीवन निर्माता होते हैं। वे हमारे विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देते हैं।

शिक्षक समाज की नींव हैं, और बिना शिक्षक के न कोई डॉक्टर बन सकता है, न इंजीनियर, न नेता और न ही कोई कलाकार। विशिष्ट अतिथि के रूप में धर्मेंद्र भारती बीएसी, शैलेश खरे प्रांतीय प्रशिक्षण प्रमुख उपस्थित रहे द्य मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के जिला सचिव राजीव लोचन शर्मा द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा एवं गुरु की मित्रता पर विचार व्यक्त किए गए।

एसडीएम ने जनसुनवाई में सुनी शिकायतें

दतिया। नगर में मंगलवार को एसडीएम सोनाली राजपूत की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन जनपद सभागार में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।

आम सूचना

श्री मुन्नालाल रायकवार पुत्र श्री कालू एवं श्रीमती बेबी देवी पत्नी श्री मुन्नालाल केवट के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.404(पी) पर निर्मित भवन, स्थित ग्राम पंडोखर, प.ह.नं.00027, रा.नि.मं.पंडोखर, तहसील भाण्डेर एवं जिला दतिया (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.1873 ग्राम पंडोखर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1227 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है: पूर्व में रास्ता 12 फुट चौड़ा, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में भवन श्री दयाराम है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री मुन्नालाल रायकवार पुत्र श्री कालू एवं श्रीमती बेबी देवी पत्नी श्री मुन्नालाल केवट के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री मुन्नालाल रायकवार द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति 613.50 वर्गफुट के संबंध में श्रीमती बेबी देवी पत्नी श्री मुन्नालाल केवट के हित में लिखतम हकत्याग विलेख सम्पादित किये जाने हेतु डीड का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्रीमती बेबी देवी द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार इण्डिया शैल्टर फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास,सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.),मो.नं. 98276-72710

कोटवारों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज
दतिया,8जुलाई। मध्यप्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ तहसील अध्यक्ष मानसिंह परिहार के नेतृत्व में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम भांडेर सोनाली राजपूत को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में मांग की गई कि म0प्र0 के सभी 38000 कोटवारों को परमानेंट किया जावे कोटवार पंचायत 2007 की घोषणा अनुसार न0 प्र0 के सभी 38000 कोटवारों को पात्रता परिक्षण कर सेवा / मालगुजार भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जावे।

अभियान चलाकर सेवा भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जावे। राजस्व आयुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर की अवमानना कर अबैध रूप से जारी भंडार कय नियम 2022 का पालन कर वर्दी कय संबंधी आदेश निरस्त कर पूर्व की तरह बर्दी की राशि कोटवारों के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की जावे। उक्त आदेश निरस्त न होने तक दी जा रही घटिया एवं अनुपयोगी कोटवार वर्दी का बहिष्कार किया जावेगा। शहरी एवं नगरीय क्षेत्र में तथा एक ग्राम में एक से अधिक कोटवार होने की स्थिति में कोटवार पद समाप्त करने संबंधी असंबैधानिक आदेश निरस्त किया जावे।

नाबालिग का विवाह कराने वालों पर एफआईआर दर्ज

दतिया। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े की निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद उपाध्याय द्वारा विगत दिवस ग्राम पिपरौआ तहसील भाण्डेर थाना सरसई में बाल विवाह के मामले में 13 वर्ष 7 माह की बालिका का विवाह कराने पर बालिका के माता-पिता एवं बालक व बालक के माता-पिता के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10 एवं 11 के तहत एफ्आईआर दर्ज कराई गई। एसडीएम भाण्डेर को सूचना मिली थी कि ध्वार की माता मंदिर तहसील मोठ जिला झांसी में बालक-बालिका का विवाह होना बताया गया था। उक्त शिकायत की जांच हेतु एसडीएम द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद उपाध्याय को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सीडीपीओ सुश्री नीलम मौर्य एवं संबधित सेक्टर पर्यवेक्षक को मामले की जांच हेतु भेजा गया। जांच दल जब ग्राम पिपरौआ तहसील भाण्डेर में जो देखा तो परिजन एवं ग्रामीणजनों द्वारा विवाह के संबध में जानकारी नहीं दी गई। परिजनों द्वारा जानकारी बताई गई कि उनके द्वारा किसी भी बालक-बालिका का विवाह नहीं किया गया। जांच दल द्वारा वीडियों में दिखने वाले बालक-बालिका से मुलाकत की गई तो बालिका ने अपनी उम्र 18 वर्ष एवं बालक ने अपनी उम्र 19 वर्ष बताई एवं उनके द्वारा जानकारी दी गई कि वे पढे-लिखे नहीं है उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। जांच दल द्वारा बालक-बालिका का रिकार्ड आंगनवाडी केन्द्र एवं शासकीय प्राथमिक विद्यालय से मंगवाया गया तो पाया कि विवाह के समय बालिका की उम्र 13 वर्ष 7 माह एवं बालक की उम्र 18 वर्ष 6 माह है। परियोजना अधिकारी द्वारा बाल विवाह होने संबधित साक्ष्य एकत्रित करते हुए जांच प्रतिवेदन थाना सरसई को पेश किया गया। जिस पर थाना सरसई द्वारा घटना स्थल ध्वार की माता मंदिर तहसील मोठ जिला झांसी होने से जीरो पर एफ्आईआर रिपोर्ट दर्ज की गई। बालिका के माता-पिता एवं बालक के माता-पिता के खिलाफ बाल विवाह जीरो एफ्आईआर दर्ज कर संबधित थाने में रिपोर्ट भेजी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी उपाध्याय द्वारा जानकारी देकर बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कानूनन अपराध है।

गुरू पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनेगा

दतिया। आषाढ़ माह के पूर्णिमा आगामी 10 जुलाई को मनाई जाएगी। इसके निर्मित जिले के विभिन्न मंदिरों में परशुराम मंदिर, असनई मंदिर, रामलला, पीताम्बरा पीठ, अनामय आश्रम, चैतन्य आश्रम हनुमान गढी, चिरई टोर वाली माता सहित अन्य मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। अनामय आश्रम पर प्रतिदिन भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहाँ भारी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे है। माँ पीताम्बरा पीठ पर गुरू पूर्णिमा पर पूरे देश से भक्त पहुंचते है।